पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 259/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 22.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01.थाना- रानी की सरायः चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनाँक 05.08.2024 को आवेदक संजय पाण्डेय पुत्र सुबेदार नि0 उचागाँव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रवी यादव पुत्र सुनील यादव नि0 उचागांव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के खेत में लगे पानी का मोटर व बैट्री को चुरा लिया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 222/2024 धारा 305ए वी0एन0एस0 ब नाम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 22.08.2024 को उ0नि0 सिंह प्रिंस विनायक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि यादव उर्फ बाढ़ू पुत्र सुनील यादव ग्राम उचागाव थाना रानी की सराय, आजमगढ़ को चोरी गये एक पानी का मोटर के साथ शंकरनगर पुलिया के पास से समय 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) वी0एन0एस0 की बढोत्तरी करते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

02.थाना- मेंहनगर: हत्या के प्रयास में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा मोलू यादव पुत्र शिव मुरत यादव ग्राम समसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.08.24 को समय करीब 5.40 बजे शाम को वादी और मयंक यादव उर्फ मण्टू पुत्र शोभनाथ यादव पता समसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ शेखुपुर चट्टी पर गये थे उसी समय दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव व जग्गी यादव पुत्र चन्द्रबली यादव व विनय यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र छांगुर यादव पता ग्राम शेखुपुर पोस्ट रसुलपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ व अभय राय पुत्र संतोष राय ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ उपरोक्त चारो व्यक्ति शेखुपुर चट्टी पर आए और पुरानी रंजीश को लेकर मुझको और मयंक को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे जब मैने मना किया तो दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ने मेरे उपर कट्टे से फायर कर दिया जिससे मेरे हाथ और कमर में गोली लग गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/24 धारा 109/352/351(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➡ दिनांक 21.08.2024 को व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ***अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र उर्फ छोटई यादव रामअधार यादव निवासी तियरी सग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ग्राम शेखूपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 12.50 बजे अक्षैबर पुलिया बहद ग्राम गौरा से गिरफ्तार*** किया गया।

➡जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 333/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। शेष तीन अभियुक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.08.2024 को व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.विनय यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र छांगूर यादव निवासी शेखूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 2.अंकित सरोज पुत्र बृजेश सरोज 3.पल्लू सरोज पुत्र जितेंद्र सरोज निवासीगण बछवल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 12.30 बजे ग्राम जियासड़ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास – धर्मेन्द्र उर्फ छोटई यादव उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 22/2015 धारा 302 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 128/2017 धारा 147/386/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 206/2017 धारा 392 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 266/2017 धारा 307 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 268/2017 धारा 41/411/420/467/468 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 24/2019 धारा 147/148/323/352/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

7.मु0अ0सं0 03/2020 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

8.मु0अ0सं0 25/2020 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

9.मु0अ0सं0 281/2023 धारा 304/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

10.मु0अ0सं0 169/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

11.मु0अ0सं0 327/24 धारा 109/352/351(2)/3(5)/61(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़

12.मु0अ0सं0 333/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ़

साइबर
हेल्प डेस्क
कार्यालय
आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प

कार्यालय
आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प

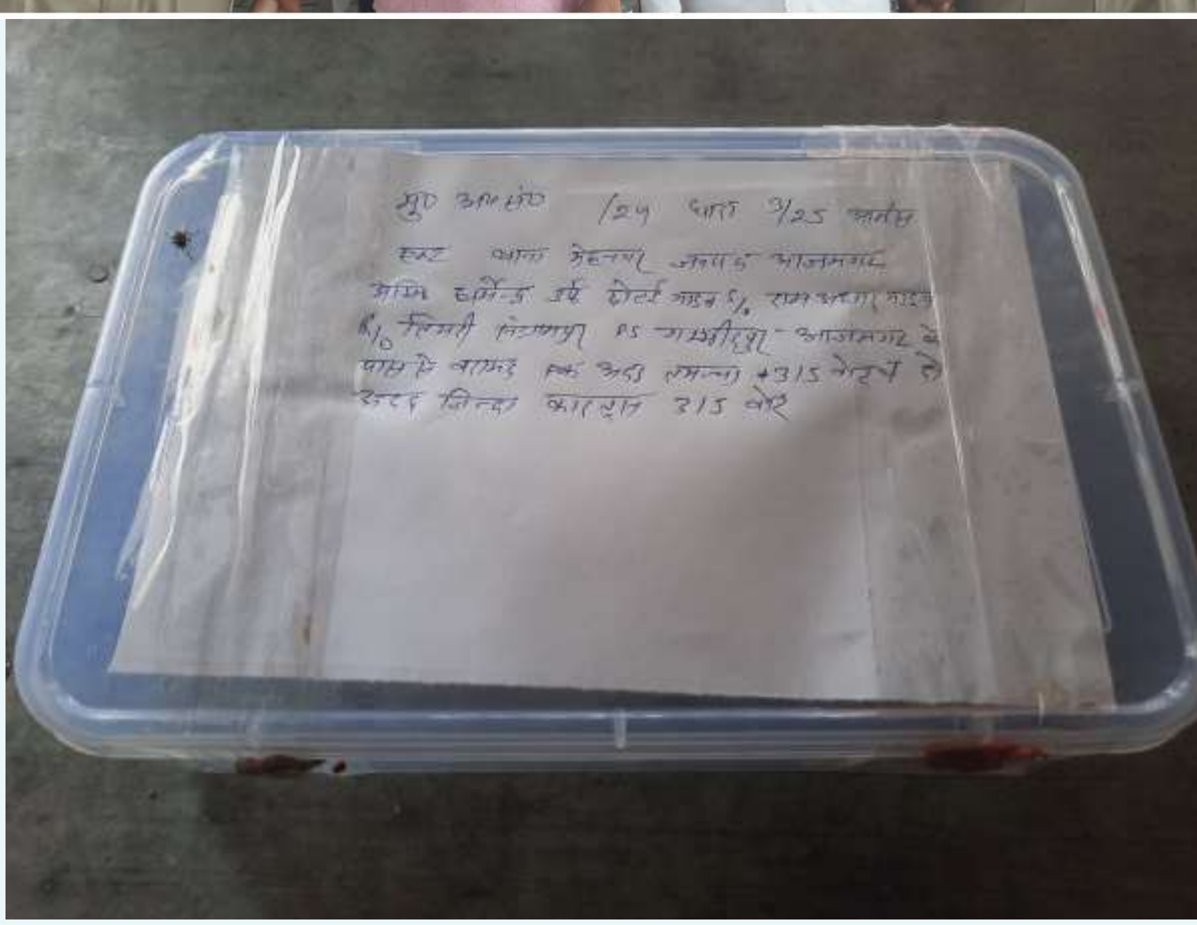

03. थाना-कप्तानगंजः किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 05.08.24 को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 01.08.2024 की सुबह करीब 1 बजे दिन मे वादी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 137(2)/87BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 अमन तिवारी द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.08.24 को उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ प्रिन्स पुत्र हिरालाल निवसी लक्षीरामपुर थाना कोतवालीनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना गेट से समय करीब 12.20 बजे अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ प्रिन्स उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04. थाना – रौनापार: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी करन उर्फ प्रिंस उर्फ खिरू यादव पुत्र पारसनाथ यादव साकिन आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा भैस चराने के दौरान वादी मुकदमा की 15 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 344/24 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो बनाम करन उर्फ प्रिंस उर्फ खिरू यादव पुत्र पारसनाथ यादव साकिन आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 21.08.24 को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.08.24 को उ0नि0 मधुसुदन मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त करन उर्फ प्रिंस उर्फ खिरू यादव पुत्र पारसनाथ यादव साकिन आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को बेलहिया ढाला से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 344/24 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो बनाम थाना रौनापार आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 70/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 98/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 189/24 धारा धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार आजमगढ़।

05. थाना मुबारकपुरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण–

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सालिम पुत्र इजहार निवासी ग्राम मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ भटौरा अण्डर पास से समय 00.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 315/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम मो0 कैफ पुत्र परवेज अहमद निवासी ग्राम मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 315/2018 धारा 457/380/411 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 272/2018 धारा 457/380 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0 135/2019 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

4. मु0अ0सं0 204/2017 धारा 380 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

5. मु0अ0सं0 318/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ